



मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

(म० प्र० विधानसभा अधिनियम 1991 के अंतर्गत स्थापित)

राजा भोज मार्ग (कोलार रोड), भोपाल

(Accredited with Grade 'A' by NAAC)

<https://mpbou.edu.in>

दूरभाष- 0755-2492093, 2424660

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

क्र०: ~~1091/outsource~~ प्रभोमुवि/2025

दिनांक: 31/12/2025

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा बाह्य स्रोत (OutSource) से मैनपावर (Office Staff) एवं हाउस कीपिंग हेतु ई-निविदा वर्ष 2025 के लिए अधिकृत फर्मों से ऑन-लाईन ई-निविदा <https://mptenders.gov.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदाकार, जानकारी एवं विवरण वेबसाइट <https://mptenders.gov.in> एवं <https://mpbou.edu.in> से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ई-निविदा में होने वाले समस्त संशोधनों आदि का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट्स पर ही किया जावेगा तथा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा। निविदा की अंतिम तिथि 31/12/2025 समय सायं 06:00 बजे है।

कुलसचिव

Handwritten signature
26/12/25



म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

राजा भोज मार्ग (कोलार रोड), भोपाल

क्रमांक: 1091/outsource MPBOU / 2025

भोपाल, दिनांक: 31.12.2025

बाह्य स्रोत (OutSource) से मेनपावर (Office Staff) एवं हाउस कीपिंग हेतु ई-निविदा वर्ष 2025

म0 प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल, मुख्यालय/क्षेत्रीय केंद्रों/अध्ययन केंद्रों/विभिन्न विभागों/ शाखाओं के कार्यालयीन उपयोग के लिए बाह्य स्रोत (OutSource) से मेनपावर (Office Staff) एवं हाउस कीपिंग हेतु ऑन-लाइन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, शर्तें एवं विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर लॉग-ऑन करें।

निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 5,000/- (पांच हजार रुपये) है।

निविदा का मूल्य अनुमानित रुपये 3,50,00,000/- (तीन करोड़ पचास लाख मात्र) है।

मध्यप्रदेश भंडार कय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथासंशोधित 2022) के प्रावधान अनुसार निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) कुल निविदा मूल्य का 3 प्रतिशत अर्थात् राशि रु. 10,50,000/- (दस लाख पचास हजार रुपये) हैं।

निविदाएँ ऑन-लाइन ही कय की जा सकेंगी एवं ऑन-लाइन ही प्रस्तुत करने पर मान्य होगी।

निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> व www.mpbou.edu.in पर दी जाएगी। निविदा जमा एवं खोलने सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0	विवरण	दिनांक	समय
01	निविदा फार्म डाउनलोड/कय करने की प्रारंभ तिथि	05/01/2026	10:00 बजे से
02	प्री-बिड मीटिंग	09/01/2026	12:00 बजे से
03	निविदा फार्म ऑन-लाइन प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि	13/01/2026	12:00 बजे से
04	निविदा फार्म डाउनलोड/कय करने की अंतिम तिथि	30/01/2026	16:00 बजे तक
05	निविदा फार्म ऑन-लाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	30/01/2026	18:00 बजे तक
06	निविदा खोलने की तिथि	05/02/2026	14:00 बजे

निविदा सम्बन्धी सामान्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpbou.edu.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।

म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

बाह्य स्रोत (OutSource) से मेनपावर (Office Staff) एवं हाउस कीपिंग
हेतु ई-निविदा-वर्ष 2025

भाग - 1

निविदा आवेदन एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी

- 1.1 सभी निविदाकारों से अनुरोध है कि वे निविदा प्रपत्र भरने/ प्रस्तुत करने के पूर्व निविदा से संबंधित समस्त अर्हतायें, अन्य शर्तें एवं कार्य से संबंधित प्रक्रिया के बारे में दिये गये विवरणों को सावधानी पूर्वक पढ़ ले। निविदा के संबंध में किसी स्पष्टीकरण एवं शंका समाधान के लिए कार्यालयीन समय में विश्वविद्यालय के कुलसचिव से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- 1.2 **कार्य का परिचय :-**म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का मुख्यालय परिसर राजा भोज मार्ग (कोलार रोड) पर स्थित है। मुख्यालय परिसर में प्रशासनिक भवन, ईएमपीआरसी, भंडार, कुलपति निवास, कुलसचिव निवास, अधिकारी एवं कर्मचारी निवास आदि हैं। विवि का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश है। विवि के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद एवं बड़वानी में हैं। अतः मुख्यालय एवं क्षेत्रीय केंद्रों के सुचारु संचालन हेतु सफाईकर्मी, कार्यालयीन (कम्प्यूटर ऑपरेटर, सहायक आदि) एवं अन्य कार्यों जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, माली आदि के लिए कार्यबल हेतु लगभग 150 कर्मियों की बाह्य स्रोत (Out Source) से सेवाओं के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं।
- 1.3 निविदा प्रपत्र <https://www.mptenders.gov.in> से डाउनलोड करे। निविदा सम्बन्धी जानकारी म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की वेब साइट www.mpbou.edu.in पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं।
- 1.4 बाह्य स्रोत (OutSource) से हाउस कीपिंग एवं मेनपावर (Office Staff) हेतु ई-निविदा वर्ष 2025 को वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर ऑन-लाइन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है। प्रकाशन पश्चात् निविदा में अथवा निविदा खोलने की तिथि में किसी प्रकार का संशोधन होने की स्थिति में संशोधन की जानकारी वेबसाइट पर दी जावेगी। निविदा का प्रतिवर्ष अनुमानित मूल्य रु. 3,50,00,000/- (तीन करोड़ पचास लाख रुपये) लगभग हैं।
- 1.5 निविदा ऑन-लाइन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र0	विवरण	दिनांक	समय
01	निविदा फार्म डाउनलोड/कय करने की प्रारंभ तिथि	05./01./2025	10:00 बजे से
02	प्री-बिड मीटिंग	09./01./2025	12:00 बजे से
03	निविदा फार्म ऑन-लाइन प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि	13./01./2025	12:00 बजे से
04	निविदा फार्म डाउनलोड/कय करने की अंतिम तिथि	30./01./2025	16:00 बजे तक
05	निविदा फार्म ऑन-लाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	30./01./2025	18:00 बजे तक
06	निविदा खोलने की तिथि	05./02./2025	14:00 बजे

- 1.6 यदि अपरिहार्य कारणों से निर्धारित दिनांक को निविदायें खोली नहीं जा सकी तो आगामी कार्यदिवस पर अपरान्ह 03:00 बजे खोली जाएगी।

निविदा की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

- 1.7 चरण-1: निविदा प्रपत्र का मूल्य रु. 5,000/- (रु. पाँच हजार मात्र) हैं तथा निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) राशि रु. 10,50,000/- (रु. दस लाख पचास हजार मात्र) हैं। इन्हें ऑन-लाइन निविदा के साथ जमा किया जाना है। जमा की दोनों रसीदों को निविदा के साथ अपलोड करना है। उपरोक्तानुसार निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) राशि प्राप्त होने पर ही फर्म को चरण-2 (तकनीकी निविदा) के लिए योग्य माना जायेगा।
- 1.8 चरण-2: चरण-1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा खोली जावेगी। निविदा के भाग-2 में दर्शित प्रपत्र/ दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित दस्तावेज स्कैन कर अपलोड किये जाने हैं।
- 1.9 चरण-3 : चरण 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा को भी ऑन-लाइन ही प्रस्तुत किया जाना है।



भाग - 2
तकनीकी निविदा की अर्हकारी शर्तें

बाह्य स्रोत (Out Source) से कार्य व्यवस्था हेतु निविदा पात्रता की शर्तें निम्नांकित हैं जिनके अभाव में निविदा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा:-

- 2.1 वर्तमान में निविदाकर्ता के पास कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। विवरण प्रपत्र-1 में दे।
- 2.2 निविदाकर्ता फर्म को प्रपत्र-2 अनुसार फर्म की जानकारी तथा घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.3 निविदाकर्ता एजेंसी के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होना चाहिए साथ ही उसे किसी अपराधिक मामले में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा सीधे दोषी नहीं ठहराया गया हो। निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ सार्वजनिक उपक्रम/ सहकारी संघ से वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड नहीं है। फर्म ईपीएफ एवं ईएसआईसी की नियमावली का पालन करती है, इस बाबत निविदाकर्ता फर्म को प्रपत्र-3 अनुसार ₹0 1000/- (रु. एक हजार मात्र) के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर विधिवत शपथपत्र, प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसके अभाव में निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
- 2.4 निविदाकर्ता फर्म को प्रपत्र-8 अनुसार, फर्म का सक्षम न्यायालय/ईपीएफ/ईएसआईसी आदि में वाद प्रचलित है, से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करना होगा।
- 2.5 श्रम विभाग का पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं वैधता की जानकारी (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न)।
- 2.6 सुरक्षा एजेंसी के पास प्रायवेट सिक्योरिटी एजेंसीस (रेगुलेशन) एक्ट 2005 का वैध रजिस्ट्रेशन व वैधता का प्रमाण पत्र होना चाहिए (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें) (लागू होने की दशा में)।
- 2.7 कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)।
- 2.8 कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)।
- 2.9 GST खाता क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)।
- 2.10 पेनकार्ड (PAN) की छायाप्रति संलग्न करें।
- 2.11 फर्म का इनकम टैक्स के पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-2024 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की छाया प्रति संलग्न करें।
- 2.12 रुपये 20 लाख की निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) के रूप में बैंक गारंटी/सालवेंसी का जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- 2.13 विगत 03 माह की जीएसटी जमा की पर्ची/प्रमाणपत्र की छाया प्रति संलग्न करें।
(यदि फर्म को जी.एस.टी. जमा करने के संबंध में, किसी प्रकार की छूट प्राप्त है तो, संबंधित प्रमाणपत्र संलग्न करें)
- 2.14 न्यूनतम 150 कर्मियों के ई.पी.एफ. कटोत्रा जमा के प्रमाण स्वरूप इलेक्ट्रानिक चालान रसीद एवं चालान सहित (विगत 03 माह की छाया प्रति) संलग्न करें।



- 2.15 न्यूनतम 150 कर्मियों के ई.एस.आई.सी कटोत्रा जमा विवरण मय चालान (विगत 03 माह की छाया प्रति) संलग्न करें।
- 2.16 न्यूनतम 150 कर्मियों से कार्य कराने का वैध लेबर लायसेन्स जो निविदा जारी करने की तिथि के पूर्व का हो, की छाया प्रति संलग्न करें।
- 2.17 एजेन्सी को Out Source व्यवस्था (हाउस कीपिंग, कार्यालयीन एवं अन्य कार्य जैसे कम्प्यूटर आपरेटर, कार्यालयीन सहायक, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, माली आदि हेतु कार्यबल) के क्षेत्र में पिछले पाँच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। पिछले तीन वित्त वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) का सम्बन्धित संस्थाओं का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप प्रपत्र-4 अनुसार संलग्न करें।
- 2.18 विगत तीन वित्तीय वर्षों में (2021-22, 2022-23, 2023-24) में Out Source से कार्य का औसत टर्न ओवर रु. 3 करोड़ पचास लाख प्रतिवर्ष का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र संलग्न प्रपत्र-5 अनुसार तथा अंकेक्षित लेखे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित संलग्न करें।
- 2.19 निविदा में, कर की दर (GST) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तत्समय लागू दरों के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- 2.20 निविदाकर्ता फर्म को प्रपत्र-6 के अनुसार श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2.21 ISO या अन्य क्वालिटी प्रमाणपत्र धारक निविदाकार को प्राथमिकता दी जावेगी।
- 2.22 संलग्न दस्तावेजों का संबंधित विभाग से सत्यापन कराया जा सकेगा दस्तावेजों में कोई विसंगति पाये जाने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा एवं सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी।
- 2.23 निविदा प्रपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता द्वारा फर्म की मोहर लगाकर हस्ताक्षर करें। इन अभिलेखों को पृष्ठ संख्या दें। किसी भी प्रपत्र पर फर्म की मोहर एवं हस्ताक्षर न होने पर उसे संलग्न न किया माना जावेगा। प्रपत्र-9 के कॉलम 3 में पृष्ठ संख्या दर्ज करें।
- 2.24 निविदा केवल निर्धारित प्रपत्र तथा निविदा की शर्तों के अनुसार ही स्वीकार की जावेगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्रों को अनिवार्यतः निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 5000/- (रु० पाँच हजार मात्र) वापसी योग्य नहीं हैं।

वित्तीय प्रस्ताव हेतु निर्देश:-

- 2.25 संस्था/ कम्पनी/ एजेन्सी द्वारा समय-समय पर दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु जारी किए गए आदेशों में उल्लेखित दरों के अनुसार ही अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल श्रेणी के कर्मियों को कार्यालय कलेक्टर जिला-भोपाल मध्यप्रदेश के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी स्थिति में कर्मियों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से कम भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 2.26 संस्था/ कम्पनी/ एजेन्सी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए निविदा प्रपत्र-7 में उनके द्वारा मात्र सेवाएं प्रदान करने के लिए सर्विस चार्ज प्रतिशत के रूप में अंकित करना होगा। सर्विस चार्ज कर रहित होना चाहिए। विश्वविद्यालय के द्वारा नियमानुसार तत्समय लागू कलेक्टर दर, ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., बोनस, साप्ताहिक अवकाश का भुगतान एवं अन्य वैधानिक परिलब्धियां जो नियमानुसार देय हैं, उनका भुगतान बंधनकारी होगा। निविदाकर्ता द्वारा 2% सेवा शुल्क से कम उल्लेखित किए जाने पर निविदा अमान्य की जावेगी।

2.27 निविदाकर्ता फर्म का कार्यालय भोपाल में होना आवश्यक है।

2.28 कलेक्टर द्वारा जारी किए आदेश पत्र की प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाईट एवं शासन की वेबसाईट पर निविदा प्रपत्र के साथ दी गई हैं। चूंकि उपरोक्त कलेक्टर दरें समय-समय पर पुनरीक्षित की जाती हैं। अतः Out Source अनुबन्ध की अवधि में किसी भी समय देय दरें शासन द्वारा मान्य दरों से कम नहीं होगी इस हेतु अनुबंधकर्ता द्वारा बढ़ी हुई दरों का आदेश प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा तदनुसार बढ़ी दर से भुगतान किया जावेगा।

2.29 वित्तीय निविदा प्रपत्र-7 में निविदाकार के द्वारा लिये जाने वाले सेवा शुल्क के आधार पर सफल निविदाकार का चयन किया जायेगा। निविदाकार द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवा शुल्क में बायोमैट्रिक मशीन का व्यय एवं उसके अन्य प्रशासकीय, प्रबंधकीय व्यय इत्यादि भी सम्मिलित रहेंगे। इस बावत पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

2.30 निविदाकर्ता द्वारा वित्तीय प्रपत्र-7 में दी जाने वाली वित्तीय दर कार्यालय कलेक्टर जिला-भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों हेतु प्रतिमाह दी जाने वाली मासिक दरों के आधार पर देनी होगी। चूंकि यह दरें समय-समय पर पुनरीक्षित की जाती हैं। अतः अनुबन्ध की अवधि में किसी भी समय देय दरें कार्यालय कलेक्टर जिला-भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा मान्य दरों को ही आधार माना जावेगा।

2.31 इस वित्तीय प्रपत्र-7 में निविदाकर्ता को सर्विस चार्ज अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल, उच्च कुशलश्रेणी को मिलने वाले उस माह के कलेक्टर दर के हिसाब से भुगतान की जाने वाली कुल राशि तथा साप्ताहिक अवकाश के आधार पर भुगतान की जाने वाली कुल राशि के योग को मिलाकर आने वाली कुल राशि के आधार को मानते हुए प्रतिशत के हिसाब से अंकित करना होगा। यानि सर्विस चार्ज प्रतिशत में अंकित करना होगा। समस्त सम्मिलित करों की कटौती के बाद भी मासिक सेवा शुल्क की राशि रुपये के गुणांक में होना आवश्यक है।





भाग - 3
अन्य शर्तें, कार्य विवरण एवं एजेन्सी के दायित्व

- 3.1 निविदा मान्य होने पर, सफल निविदाकर्ता को एक अनुबंध करना होगा, जो विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं फर्म के प्राधिकृत अधिकारी के मध्य निष्पादित होगा। अनुबंध के समय स्टाम्प आदि पर होने वाला व्यय, सफल निविदाकार को स्वयं वहन करना होगा। यह अनुबंध, कार्य आदेश तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी होगा। फर्म द्वारा दी जाने वाली कार्य व्यवस्था कार्यावधि के दौरान सन्तोषजनक पाये जाने पर कार्य अवधि आपसी सहमति से प्रतिवर्ष के मूल्यांकन के हिसाब से एक-एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा इसे अधिकतम 3 वर्षों तक ही बढ़ाया जा सकेगा। अनुबंध की अवधि में वित्तीय निविदा में प्रस्तुत सर्विस चार्ज में प्रतिशत में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- अनुबंध की संपूर्ण अवधि के दौरान EMD/समतुल्य राशि, निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) के रूप में विश्वविद्यालय में जमा रहेगी। यदि EMD विश्वविद्यालय के खाते में जमा होती है तो, उसे निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) के रूप में माना जावेगा। अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) को राजसात किया जा सकेगा।*
- 3.2 सफल निविदाकार को, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 3.3 सफल निविदाकार, सभी कर्मचारियों के वेतन का भुगतान प्रतिमाह 7 तारीख से पहले करेगी। तत्पश्चात् सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ देयक भुगतान हेतु विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगी। एजेन्सी को देयक भुगतान प्रतिमाह कार्य के सत्यापन करने के उपरान्त किया जायेगा।
- 3.4 अनुबंध कर्ता फर्म, अपने देयक के साथ निम्न अभिलेख संलग्न करेगी :-
- 3.4.1 प्रत्येक कर्मचारी को ई-भुगतान का अभिलेख, फर्म के बैंक स्टेटमेंट साथ
अथवा बैंक को वेतन भुगतान हेतु NEFT करने विषयक लिखे पत्र की पावती (ई-भुगतान का अभिलेख) मय बैंक स्टेटमेंट जमा करेगी। इस पत्र में कर्मचारी के वेतन खाते के अतिरिक्त अन्य खाता मान्य नहीं होगा।
- 3.4.2 देयक माह की उपस्थिति/wages register की सत्यापित छायाप्रति
- 3.4.3 गत माह के ईपीएफ भुगतान की ईसीआर एवं ईएसआईसी भुगतान का चालान
- 3.5 एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी कि वह कर्मियों का EPF, ESIC Contribution एवं अन्य कर नियमानुसार अनिवार्य रूप से जमा करेगी। इस जानकारी (ECR) में मात्र इस विधि में कार्यरत कर्मियों का उल्लेख होना चाहिए। एजेन्सी के अन्य संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों का उल्लेख इस जानकारी में नहीं होना चाहिए।
- 3.6 EPF, ESIC Contribution जमा करने संबंधी कार्य संतोषप्रद न होने पर बिना सूचना फर्म का अनुबंध समाप्त कर अनुबंधकर्ता फर्म को काली सूची में डाला जावेगा।
- 3.7 विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेशानुसार आवश्यकता पड़ने पर कार्यालयीन समय के पूर्व तथा पश्चात एवं अवकाश दिवसों में भी कर्मी उपलब्ध कराना होंगे। विश्वविद्यालय के कार्य की आवश्यकतानुसार कर्मियों को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व सफल फर्म का होगा। विश्वविद्यालयीन कार्य के दौरान विश्वविद्यालय के दस्तावेजों/कार्यों की गोपनीयता बनाए रखने की जवाबदारी सफल निविदाकार की होगी।
- 3.8 कार्यबल की, ड्यूटी 8-8 घंटे में परिवर्तन किये जाने की जवाबदारी एजेन्सी की होगी एवं किसी कर्मी की एक माह में 26 से अधिक ड्यूटी नहीं होगी। नियमानुसार साप्ताहिक अवकाश देय होगा।
- 3.9 सफल निविदाकर द्वारा उपलब्ध कराए कार्यबल का निवास/वर्दी (आवश्यकतानुसार) की व्यवस्था एजेन्सी को स्वयं करनी होगी। विश्वविद्यालय की ओर से ऐसी व्यवस्था नहीं की जावेगी।

- 3.10 सफल निविदाकार कार्य को सबलेट नहीं करेगा। ऐसा पाए जाने पर विश्वविद्यालय निविदा निरस्तीकरण कार्यवाही पर विचार कर सकता है।
- 3.11 दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष अनुबन्ध समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 01 माह की पूर्व सूचना देना आवश्यक है। आपात स्थिति में विश्वविद्यालय के पास कभी भी अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 3.12 निविदा मान्य नहीं होने पर निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) नियमानुसार लौटा दी जावेगी। स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 3.13 करों की कटौती विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान के पूर्व एट सोर्सस किया जायेगा किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो टैक्स विश्वविद्यालय द्वारा एट सोर्सस नहीं काटे गये हैं उनके दायित्व से निविदाकार मुक्त नहीं माना जावेगा।
- 3.14 समस्त प्रकार के करों को चुकाने की जिम्मेदारी सफल निविदाकार की होगी।
- 3.15 कर्मों कार्य की अवधि में किसी प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो फर्म उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए तत्काल ऑनलाईन ईएसआईसी दुर्घटना फार्म भरते हुए उपचार करवायेगी। कर्मियों के साथ हुई दुर्घटना अथवा नुकसान का जिम्मेदार म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल नहीं होगा।
- 3.16 एजेन्सी द्वारा प्रदाय कार्यबल का आंकलन बायोमेट्रिक पद्धति से भी किया जायेगा। व्यवस्था सन्तोषजनक पाये जाने पर उपस्थिति के अनुपात में देयक भुगतान किया जायेगा। कार्य व्यवस्था असन्तोषजनक पाये जाने पर अथवा विश्वविद्यालय की चल एवं अचल संपत्ति का अनुबन्ध की अवधि में नुकसान होने पर, ऐसे नुकसान के लिए भरपाई सफल निविदाकार द्वारा जमा निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) को राज-सात कर तथा अन्य देयकों के भुगतान से कटौती की जावेगी।
- 3.17 किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने की शक्ति विश्वविद्यालय को होगी। निविदाकार तथा विश्वविद्यालय के मध्य कोई विवाद अथवा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों का मान्य होगा।
- 3.18 यदि सफल निविदाकार का कोई भी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, जो निविदाकार द्वारा प्रपत्र-8 में उल्लेख किया गया है, ऐसी स्थिति में अंतिम रूप से उसकी निरंतरता मान0 न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन रहेगी।
- 3.19 न्यायालय निर्णय के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
- 3.20 विवि को इस निविदा से प्रदत्त कर्मियों की योग्यता एवं कार्य की गुणवत्ता का समय-समय पर विवि विभागीय समिति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा। कार्यालयीन कार्य की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो फर्म तत्काल उक्त कर्मचारी बदलेगी। विश्वविद्यालय ऐसी स्थिति में प्रतिभूति राशि (EMD) से शास्ति स्वरूप राशि काटकर निविदा को निरस्त करने की कार्यवाही कर सकती है।
- 3.21 निविदा की शर्तों का उल्लंघन अथवा संबंधित कर्मियों की कार्य पर से अनुपस्थिति अथवा कार्यालयीन समय पर अम्रद व्यवहार, कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा एजेन्सी पर निम्नानुसार क्षतिपूर्ति की राशि वसूल की जा सकेगी।

क्र०	विवरण	क्षतिपूर्ति की राशि प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति
01	सफाई कर्मियों यूनिफार्म में न होने पर (लागू होने की दशा में)	रु. 200-00
02	कर्मियों अनुपस्थित होने पर	रु. 500-00
03	कर्मियों के पास आईकार्ड न होने पर	रु. 200-00

04	कर्मियों के पास मोबाइल फोन न होने पर	रु. 200-00
05	अभद्र व्यवहार, कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाये जाने पर	रु.1000-00 से रु. 10,000-00 तक
06	विश्वविद्यालय कार्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति	रु. 1000-00 से लेकर नुकसान हुई सम्पत्ति की वास्तविक मूल्य तक
07	संस्था द्वारा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन या विश्वविद्यालय के निर्देशों का न मानने पर तथा कार्यालय की गोपनीयता भंग होने पर	रु. 10,000-00 या निविदा निरस्त करते हुए धरोहर राशि राजसात की जायेगी।
08	कार्यालय में चोरी होने पर	क्षति की वास्तविक राशि की क्षतिपूर्ति

- 3.22 सफल निविदाकार को आवश्यकतानुसार कार्यालयीन (कार्यालय सहायक, कम्प्यूटर आपरेटर आदि) एवं अन्य कार्यों जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, माली कारपेंटर तथा सफाई कर्मी आदि के लिए कार्यबल उपलब्ध कराना होगा। कर्मियों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी।
- 3.23 निविदा की शर्तें, फर्म एवं विश्वविद्यालय के मध्य निष्पादित होने वाले अनुबंध का एक भाग होगी। निविदाकार फर्म सफल होने की दशा में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराए जाने वाले चयनित कर्मियों की सूची उपलब्ध करायेगे।
- 3.24 विश्वविद्यालय द्वारा चाही गयी निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) एवं अन्य आवश्यक विवरण एवं जानकारीयों के अभाव में प्राप्त निविदां निरस्त मानी जावेगी।
- 3.25 निविदा, निर्धारित तिथि एवं समय पर विश्वविद्यालय कार्यालय में खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।
- 3.26 निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जावेगा।
- 3.27 म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के पास किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- 3.28 निविदाकार द्वारा निविदा प्रक्रिया प्रारंभ होने के पश्चात् अपनी निविदा वापसी करने का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं उनके द्वारा जमा की गई निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
- 3.29 एक बार सफल निविदाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य स्रोत से कार्य व्यवस्था का कार्यादेश दिया है एवं निविदाकर्ता अपने निविदा निष्पादित करने में असफल होता है अथवा निविदा वापस लेना चाहता है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा जमा की गई निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) विश्वविद्यालय द्वारा जब्त कर ली जावेगी तथा द्वितीय कम दर वाले निविदाकर्ता को कार्यादेश दिए जाने पर विचारोपरांत निर्णय लिया जावेगा।
- 3.30 एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। कर्मियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, कराए जाने का दायित्व फर्म के व्यय पर, फर्म का होगा।
- 3.31 सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जावेगी। निविदा में किसी भी प्रकार की छूट मान्य नहीं होगी।
- 3.32 निविदाकारों द्वारा दी गई सर्विस चार्ज की न्यूनतम दर एक समान पाए जाने पर, वरीयता देने का आधार निम्नानुसार होगा :-
 (i) फर्म का वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 का औसत टर्न ओवर
 (ii) फर्म द्वारा नियोजित आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या
 (iii) फर्म का शासकीय संस्थानों में कार्य करने का अधिकतम अनुभव
 विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की दावा/ आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

- 3.33 कर्मियों को भोजन, परिवहन एवं अन्य सुविधाएं (यदि आवश्यकता हो) प्रदान करना एजेन्सी का दायित्व होगा।
म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की यह जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 3.34 कर्मियों के ईएसआईसी की जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी। कर्मियों के साथ हुई कोई दुर्घटना अथवा नुकसान का जिम्मेदार म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल नहीं होगा।
- 3.35 एजेन्सी सभी कर्मियों का बायोडाटा नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ एवं पुलिस वेरिफिकेशन कुलसचिव, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल को स्वयं के व्यय पर सौपेगी।
- 3.36 कुलसचिव, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के मांगे जाने पर एजेन्सी अपने रिकार्ड जांच एवं सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगी। पुलिस वेरिफिकेशन 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। एजेन्सी द्वारा वांछित अभिलेख विश्वविद्यालय को प्रस्तुत नहीं किए जाने पर रु 1,000/- प्रति कर्मचारी की दर से दंड स्वरूप देयक/ प्रतिभूति राशि में से कटौती की जावेगी।
- 3.37 एजेन्सी को निम्न एवं अन्य प्रचलित अधिनियमों का पालन करना होगा -
- 1 -Minimum Wages Act 1948
 - 2 -Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act 1952
 - 3 -Contract Labour Regulation & Abolition Policies 1970
 - 4 -Payment of Wages Act 1936
 - 5 -Workman Compensation Act 1923 & any other Rules
 - 6 -Provisions of GST
 - 7 -Industrial Dispute Act 1947
 - 8 -Salary & Bonus Act 1965
- उपरोक्त के अतिरिक्त निविदा में उल्लेखित एवं अन्य प्रासंगिक सभी प्रकार के नियम लागू होंगे।
- 3.38 अगर किसी प्रकरण में विश्वविद्यालय प्रशासन उचित समझता है कि जाँच आवश्यक हो या पुलिस थाना में रिपोर्ट करना आवश्यक हो तो एजेन्सी को साक्ष्य आदि के लिए तब तक उपलब्ध रहना होगा, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाये। विश्वविद्यालय में यौन उत्पीड़न घटना होने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 3.39 एजेन्सी द्वारा दी गई जानकारी एवं प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर एजेन्सी के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ली जावेगी।
- 3.4 कुलपति/ म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार :-
- 3.41 निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर विश्वविद्यालय पैरामीटर/ प्रक्रिया निर्धारित कर सफल निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। इस संबंध में किसी का दावा आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 3.42 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलपति म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।
- 3.43 म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के पास किसी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी स्तर पर स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने के अधिकार सुरक्षित हैं।
- 3.44 निविदाकर्ता तथा विश्वविद्यालय के मध्य कोई विवाद अथवा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर कुलपति, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा जो दोनों पक्षों का मान्य होगा। निविदा विषयक विवाद में Sole Arbitrator कुलपति, म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल होंगे।
- 3.45 न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार न्यायालय भोपाल (म0प्र0) होगा।

प्रपत्र-1

निविदाकर्ता फर्म के पास वर्तमान में कार्यरत कर्मियों की जानकारी

निविदाकर्ता फर्म का नाम:

पता:

क्र०	कर्मि का पदनाम	संख्या	कुल वेतन
01	सुपरवाइजर		
02	अकुशल		
03	अर्द्धकुशल		
04	कुशल		
05	उच्च कुशल		

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर सील सहित



प्रपत्र-2

निविदाकर्ता फर्म की जानकारी तथा घोषणा पत्र

क्र0	विवरण	
01	निविदाकर्ता फर्म का नाम	
02	कार्यालयीन पता (मुख्यालय)	
	कार्यालयीन पता (भोपाल)	
03	दूरभाष नम्बर	
04	मोबाईल नम्बर	
05	ई-मेल आईडी0	
06	पैन कार्ड नं0	
07	जीएसटी नं0	
08	फर्म का रजिस्ट्रेशन नं0 एवं दि0	
09	कार्य का टर्न ओवर	
10	कार्य का अनुभव	 वर्ष
11	संस्थानों की संख्या, जहाँ वर्तमान में एजेंसी द्वारा स्टाफ उपलब्ध कराया जा रहा है	
12	एजेंसी में कर्मियों की कुल संख्या	
13	फर्म के बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, खाता क0	

घोषणा पत्र

मेरे/हमारी संस्था द्वारा निविदा में दिए गए सभी नियम/ शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं निविदा की शर्तों के अधीन म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल में Out Source से कार्य व्यवस्था का कार्य करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर सील सहित

म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

(Signature)

प्रपत्र-3

शपथ पत्र का प्रारूप

म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा बाह्य स्रोत (OutSource) से मेनपावर (Office Staff) एवं हाउस कीपिंग हेतु ई-निविदा वर्ष 2025 के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र
(रु. 1000/- के गैर न्यायिक मुद्रांक/ नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करें)

मैं.....पुत्र/पुत्री.....उम्र.....वर्ष
पता

शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ कि:-

- (1) मैं निविदाकर्ता संस्था..... (फर्म/कम्पनी/समिति का नाम) का (एकल स्वामी/ साझेदार/ संचालक/ मैनेजर/अधिकृत प्रतिनिधि) हूँ तथा यह संस्था वर्तमान में वैधानिक रूप से पंजीकृत है। जिसके पंजीकृत कार्यालय का पता है।
- (2) मैंने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ लिया है तथा उसमें वर्णित समस्त शर्तें मुझे तथा मेरी संस्था को मान्य हैं।
- (3) निविदा में वर्णित सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिए मेरे/ मेरी संस्था के पास समस्त आवश्यक वैधानिक अनुज्ञप्तियां, पंजीकरण तथा स्वीकृतियां प्राप्त हैं।
- (4) मेरी संस्था को किसी भी शास0/अर्ध शास0 संस्था/उपक्रम/सहकारी संघ से वर्तमान में ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है।
- (5) मेरी संस्था के विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है और न ही किसी आपराधिक मामले में सीधे दोषी है।
- (6) हमारी फर्म पर किसी शासकीय संस्था/ उपक्रम तथा बैंक की देनदारी शेष नहीं है एवं हमारी फर्म को कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।
- (7) फर्म ईपीएफ एवं ईएसआईसी की नियमावली का पालन करती है।
- (8) फर्म का सक्षम न्यायालय/ईपीएफ/ईएसआईसी आदि में वाद/विवाद चल रहा है, की संबंधित जानकारी प्रपत्र-8 संलग्न है।
- (9) मेरे/ मेरी संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में दी गई सभी जानकारियों पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित है किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर मेरे/ हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त किया जाना मान्य होगा तथा हमारे द्वारा जमा की गई निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा जप्त किया जाना एवं ब्लैक लिस्ट किया जाना मुझे/हमारी संस्था को मान्य होगा।

स्थान :
दिनांक:

शपथगृहीता

नाम:
पता:

1. गवाह का नाम एवं पता:
2. गवाह का नाम एवं पता:

प्रपत्र-4

निविदाकर्ता फर्म का नाम:

पता:

क्र०	वर्ष	संस्था का नाम जहाँ कार्यालयीन कार्य व्यवस्था संबंधी कार्य किया है।	अवधि		कुल अवधि वर्ष एवं माह	कर्मियों संख्या	की	वार्षिक देयक राशि
			दिनांक से	दिनांक तक				
01	2021-22							
02	2022-23							
03	2023-24							

म०प्र० भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

Page 14

प्रपत्र-5

अंकक्षित लेखों का सारांश

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स.....पता.....
.....के विगत तीन वर्षों के अंकक्षित लेखों एवं आयकर विभाग
को प्रस्तुत आयकर विवरणियों की जांच मेरे द्वारा की गई। अंकक्षित लेखों के अनुसार निविदाकार का
समान प्रकृति के कार्य का आवर्त (टर्न ओवर) इस प्रकार है:-

क्र०	वर्ष	राशि (शब्दों में)	राशि (अंकों में)
01	2021-22		
02	2022-23		
03	2023-24		

टीप:- शब्दों एवं अंकों में राशि का अंतर होने पर शब्दों की राशि को प्रमाणिक माना जाएगा।

उपर्युक्त आवर्त की गणनाएं मेरे द्वारा स्वयं जांची गई हैं। जिसे प्रशासन म0प्र0 भोज (मुक्त)
विश्वविद्यालय, भोपाल की निविदा शर्तों के अनुसार वांछित शर्त के रूप में प्रमाणित करा हूं।

स्थान:

चार्टर्ड लेखाकार का नाम:

दिनांक:

फर्म का पदमुद्रा:

शपथग्रहीता

प्रपत्र-6

घोषणा पत्र

(श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में)

मैं..... आत्मज..... Out Source से कार्य व्यवस्था के लिए म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय में निविदाकार हूं। मैं यह घोषित करता हूं कि हमारी संस्था द्वारा यदि म0प्र0 भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय में कार्य किया जाएगा तो हमारी संस्था द्वारा जिलाध्यक्ष दर के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा तथा सभी श्रम कानूनों का पालन करते हुए निर्धारित अन्य विधिक प्रावधानों के अनुरूप सुविधाएं अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाएगी। इसके संबंध में किसी भी प्रकार के कानून/ नियम/ विधिक प्रावधान का उल्लंघन होने पर हमारी संस्था ही उसके लिए जिम्मेदार होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

नाम:

दिनांक:

पता:

बाह्य स्रोत (OutSource) से मेनपावर (Office Staff) एवं हाउस कीपिंग हेतु ई-निविदा वर्ष 2025

In Excel sheet
Online on mptenders portal

प्रपत्र -7
(वित्तीय निविदा)

फर्म का नाम

सर्विस चार्ज की दर प्रतिशत में
(Rate of Service Charge in %)

स0क0	कार्य का विवरण	दर शब्दों में	दर अंको में
1	Rate of Service Charge as per Point 2.26 of tender document (Not less than 2%)		

प्रस्तुत सर्विस चार्ज की दर जी0एस0टी0 रहित (Without GST)

प्रपत्र-8

घोषणा

फर्म का सक्षम न्यायालय/ईपीएफ/ईएसआईसी आदि में
चल रहे वाद/विवाद के संबंध में जानकारी

क्र०	प्रकरण क्रमांक	जहाँ प्रकरण चल रहा है, का नाम	संक्षिप्त जानकारी

उपरोक्त वाद/विवाद नहीं होने के स्थिति में "निरंक" दर्ज करें ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान:

नाम:

दिनांक:

पता:



प्रपत्र-9

निम्नानुसार दस्तावेजों फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित स्कैन कॉपी अपलोड की जाना है।

1	2	3
क0	दस्तावेज का नाम जिसे निविदा के साथ अपलोड करना है तथा प्रत्येक दस्तावेज पर फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील लगी होना चाहिए	पेज नं0
1	निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 5000/- (रु0 पाँच हजार मात्र) ऑन-लाइन जमा की गई राशि।	
2	निविदा की प्रतिभूति राशि (EMD) रुपये 10,50,000/- (दस लाख पचास हजार रुपये) ऑन लाइन जमा की गई राशि की रसीद।	
3	वर्तमान में निविदाकर्ता फर्म में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। विवरण प्रपत्र-1 अनुसार।	
4	फर्म की जानकारी तथा घोषणा पत्र प्रपत्र-2 अनुसार।	
5	अपराधिक प्रकरण, ब्लेक लिस्ट आदि की घोषणा से संबंधित शपथ पत्र प्रपत्र-3 अनुसार।	
6	श्रम विभाग का पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं वैधता (पंजीयन दस्तावेज की प्रति)	
7	सुरक्षा एजेंसी के पास प्रायवेट सिक्योरिटी एजेंसीस (रेगुलेशन) एक्ट 2005 का वैध रजिस्ट्रेशन व वैधता का प्रमाण पत्र (लागू होने की दशा में)	
8	कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति)	
9	कर्मचारी राज्य बीमा निगम का पंजीयन क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति)	
10	GST खाता क्रमांक (पंजीयन दस्तावेज की प्रति)	
11	पैनकार्ड (PAN) की छाया प्रति	
12	फर्म का इनकम टैक्स के पिछले तीन वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा का छाया प्रति।	
13	रु. 20 लाख की निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) के रूप में बैंक गारंटी/सालवेंसी का जीवित प्रमाण पत्र	
14	जी.एस.टी. जमा की पर्ची/प्रमाणपत्र (विगत 03 माह की छाया प्रति)। यदि फर्म को जीएसटी जमा करने के संबंध में, किसी प्रकार की छूट प्राप्त है तो, संबंधित प्रमाणपत्र संलग्न करें।	
15	न्यूनतम 150 कर्मियों के ई.पी.एफ. कटौती जमा के प्रमाण स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक चालान रसीद एवं चालान सहित (विगत 03 माह की छाया प्रति)।	
16	न्यूनतम 150 कार्यालयीन कर्मियों के ई.एस.आई.सी कटौती का प्रमाण पत्र (विगत 03 माह की छाया प्रति)।	

17	न्यूनतम 150 कर्मियों से कार्य कराने का लेबर लायसेन्स जो निविदा की तिथि के पूर्व का हो की (छाया प्रति)	
19	Out Source के कार्य के क्षेत्र में पिछले पाँच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। पिछले तीन वित्त वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) का सम्बन्धित संस्थाओं का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रमाण स्वरूप संलग्न करें। प्रपत्र-4 अनुसार	
20	विगत तीन वित्तीय वर्षों में (2021-22, 2022-23, 2023-24) में Out Source से कार्य का औसत टर्न ओवर रु. 3 करोड़ पचास लाख प्रतिवर्ष का चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण पत्र संलग्न प्रपत्र-5 अनुसार तथा अंकित लेखे (Trial Balance, Profit & Loss, Balance Sheet) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से सत्यापित संलग्न करें।	
21	निविदाकर्ता फर्म श्रम कानून के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करें। प्रपत्र-6 अनुसार	
22	ISO या अन्य क्वालिटी प्रमाणपत्र (यदि हो)	
23	फर्म का सक्षम न्यायालय/ईपीएफ/ईएसआईसी आदि में चल रहे वाद के संबंध में जानकारी प्रपत्र-8 अनुसार	
24	प्रपत्र-9	
25	निविदा से संबंधित अन्य अभिलेख (आवश्यकतानुसार)	

नोट: - अपलोड किए जाने वाले अभिलेखों पर सर्वप्रथम पृष्ठ क्रमांक दर्ज करें।
उपरोक्त तालिका के कॉलम 3 में इन पृष्ठ क्रमांक को दर्ज कर इस तालिका को भी अपलोड करें।

✓

Handwritten signature